

संख्या-ई0डी0001-एच(21)एच(10)09/2018-मिस  
शिक्षा निदेशालय उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक:शिमला-171001.

दिसम्बर, 2018

सेवा में

समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश ।

विषय:-  
ज्ञापन:

रु 10 मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करने से इंकार ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या: अ0शा0पत्र भारिबेनि0वि0चंडी / 1551 / 02-29-001 / 2018-19 दिनांक 17-10-2018 जो मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित है तथा संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार व सचिव (शिक्षा) के ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है कि फोटो प्रति इस कथन के साथ भेजी जाती है कि आप अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों के मुखियों को निर्देश जारी करें कि पत्र में दिये गए दिशा निर्देशों की पालना करें और उसकी सूचना इस कार्यालय को भी भेजें । इस अतिआवश्यक समझे अन्यथा अधिक देरी के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

DDNR

५-१५

५-१५

०१/०१/१९

संलग्न-उपरोक्त

(डा० प्रमोद चौहान)

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कालेज)  
शिमला हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या:साम  
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

दिनांक:शिमला-171001.

1 सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को उनके ई-मेल के सन्दर्भ में ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कालेज)  
शिमला हिमाचल प्रदेश ।

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Misc. 2018/- 9372

Office of the Deputy Director of Higher Education,  
Una Distt. Una (HP).

Dated

Una

2 January, 2019

All the Principals/ Headmasters of Govt. Senior Secondary Schools  
/ Govt. High Schools / Private Schools in Una District for information and necessary  
action.

Dy. Director of Higher Education,  
Una Distt. Una (HP).



Finance W.M. B. Section  
T. 545375/18  
Date: 03/12/18

भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

क्षेत्रीय निदेशक  
पंजाब, हरियाणा एवं यू.टी. चण्डीगढ़  
Regional Director  
Punjab, Haryana & UT Chandigarh

अ.शा.पत्र.भारिबैं.नि.वि.चंडी./ 1551 /02.29.001/2018-19

अक्टूबर 17, 2018

श्री अग्रवाल जी,

₹ 10 मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करने से इंकार

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर व्यापारियों और आम जनता द्वारा ₹10 मूल्यवर्ग के सिक्कों को उनकी वास्तविकता के बारे में संदेह होने के कारण स्वीकार करने में आनाकानी की जा रही है। हाल ही में, हमें कुछ स्थानों से, खासकर बसों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता एजेंसियों से ₹10 के सिक्कों को स्वीकार न के बारे में शिकायतें मिली हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बार-बार, जनता को चेताया है कि इस तरह की अफवाहों से प्रभावित न हो। वास्तव में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी, 2018 (प्रतिलिपि-संलग्न) को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालन में डाले गए सिक्के कानूनी निविदा हैं और लेनदेन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 डिजाइनों में ₹ 10 सिक्के के जारी किए हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट विशेषताओं के साथ है। समय-समय पर जारी विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताओं को सार्वजनिक रूप से साझा किया गया है। ये सभी सिक्के कानूनी निविदा हैं और लेनदेन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, ऋण भुगतान या व्यापारिक दायित्व के निष्पादन के लिए, आधा रुपया (50 पैसे) का सिक्का अधिकतम राशि दस रुपये और अन्य किसी भी मूल्यवर्ग का सिक्का जो एक रुपए से कम ना हो, अधिकतम एक हजार रुपये की राशि तक के लिए कानूनी निविदा के रूप में माना जाता है।

हमने बैंकों को हिमाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न हिस्सों में जन जागरूकता सिक्का मेला आयोजित करने के अलावा उनकी सभी शाखाओं में लेनदेन के लिए सिक्कों को स्वीकार करने और विनिमय करने की भी सलाह दी है। बैंकों द्वारा काउंटर पर सिक्कों को स्वीकार करने से इंकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ग्राहक सेवा पर जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और यह बैंकों को दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है।

जारी पृष्ठ 2

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप राज्य सरकार के संबंधित विभागों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दें कि कृपया वे भुगतान के लिए सिक्कों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सभी लेनदेन में कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करना जारी रखें।

सादर

रचना दीक्षित

(रचना दीक्षित)

७२ २/५

श्री बी. के. अग्रवाल, आईएस  
मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश  
हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय  
शिमला - 171002 (हि.प्र.)

संलग्न: उपरोक्त